



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा
संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

National Water Development Agency स्पीड पोस्ट द्वारा
(Ministry of Water Resources, River Development
and Ganga Rejuvenation, Government of India)

संख्या: 12/11/2015-प्रशा./ 10169-71

दिनांक: 13 जुलाई, 2018

सेवा में,

श्री एस.एस. इंगलेश्वर,
अधीक्षक ग्रेड-1 (सेवानिवृत्त),
C/o दिल्ली कर्नाटक संघ,
राव तुलाराम मार्ग,
सेक्टर-12, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली-110022

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दस्तावेज/
जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

आपके आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 18.05.2018 एवं दिनांक 06.07.2018 के पत्र के प्रत्युत्तर (Response) में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में कुल 07 पेज संलग्न हैं। तदनुसार आपके दिनांक 18.05.2018 के आर.टी.आई. आवेदन का निष्पादन किया जाता है।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो पत्र पाने के 30 दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अंतर्गत रा.ज.वि.अ. में प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपीलीय अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

श्री आर.के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्या.) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, रा.ज.वि.अ.,
18-20 सामुदायिक केन्द्र, साकेत, नई दिल्ली-110017 (e-mail Id -cehqnwda@rediffmail.
com) फोन नं. 26852735.

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि।

(नरेन्द्र कुमार)

निदेशक (प्रशा.) एवं सीपीआईओ

26535141

(e-mail Id -diradm-nwda@nic.in)

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक(प्रशा.) एवं नोडल अधिकारी, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
2. निदेशक (एम.डी.यू.), रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली की वेबसाइट पर अपरोड करने के संबंध में।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
प्रशासन अनुभाग

.....

विषय - भर्ती/सर्विस नियमों से संबंधी।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के पत्र सं. 10/2/2012-समन्वय (खण्ड -III), दिनांक 18.06.2014 की ओर ध्यान अर्किषत करते हुए, उपरोक्त विषय के संदर्भ में निदेशक (प्रशा.), उपनिदेशक (प्रशा.), प्रशासनिक अधिकारी, अधीक्षक ग्रेड-I, अधीक्षक ग्रेड-II, सहायक/प्रधान लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक एवं चपरासी/चौकीदार (एम.टी.एस.) के संशोधित भर्ती नियम निदेशक (इ-1), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजने हेतु संलग्न।

अच्छ
25/9/14

उपनिदेशक (प्रशा.)

मोहता हल अउर हल

21/10/14

25/9/14

In the context draft RR, I have put 2 marks at some places. Those need to be discussed.

25/9

Dir(A)/961
26.9.2014

Dir(A)

As discont revised draft is placed below for approval before sending it to ministry.

Committee (A)

25/9



The proposal under consideration is regarding revision of Recruitment Rules (RRs) for the posts in Administration.

2. Revision of RRs is required to (i) reflect the revised pay scales of 6th CPC and (ii) to adopt model RRs of ROPT.

3. To facilitate Ministry in considering the revised RRs in proper perspective, it is proposed to send, in the first instance, the revised RRs pertaining to Administration covering the following posts:

- (i) Director (Admin.);
- (ii) Deputy Director (Admin.);
- (iii) Administrative Officer;
- (iv) Superintendent-Gr-I;
- (v) Superintendent-Gr-II;
- (vi) Head Clerk;
- (vii) UDC;
- (viii) LCR; and
- (ix) MTS.

4. The revised RRs indicate what are the existing provisions, which columns are proposed to be changed in which way and the justification for the change.

5. Submitted for approval.

CE (HR)

DG-NWDA

CE (HR)

COA (A)

28/10

02/X/2014

27/X/2014

28.10.2014

CE (HR) / 1144
27.10.2014



Dir (A) / 1080
29.10.14

P.S.P.K.
29/10
2014

Contd...pre-page

Based upon Model RRs of Govt. of India, RRs for the posts in NWDA pertaining to Administration Cadre have been modified and draft letter is placed below for sending to M/o Water Resources, RD & GR.

Submitted for approval/order please.

Amr
30/x/14

Supdt. I (Admin) - Absent

Dy. Dir. (Admin) 30/10/14
हनुमन्तियाल (उ०)

30/10/14

DA (Admin.)

30/10/14

At Amr

खान्दान पर्याप्त लच्छे फा एतारल हेरु प्रत्युत
ए

31/11
3/11/14

Amr. I (प्र.) - अनुपस्थित

3/11 (प्र.) 3/11/14

Amr & Co

क.सि. 1 (जा) प.ब. 37-53 (3/11/14)

FR is the letter dated 15.04.2015 received from Under Secretary (Estt.-IV), MoWR, RD & GR enclosing therewith a copy of the minutes of the meeting held on 26.03.2015, by the Additional Secretary, MoWR, RD & GR, vide which, it was pointed out that NWDA requires the capacity of building in the Technical areas of works. It is further point out that expert staff from other organization are to be deputed to NWDA for improving the efficiency of work by revisiting the RRs of NWDA, for enhancing the deputation quota.

CP-54

For further instruction please.

AP
on
23/04/15
LDC

Supdt (Admin)

D. D. / (Admin)

The proposal for revision/amendment in RRs of various posts, has already been sent to MOWR for approval.

Further amendment in view of change can be made after receipt of approval of MOWR. for approval W.

C.E.(HQ) / 2626
24.04.2015

~~C.E. (HQ)~~

24/4/15
(Y.D. VATE)
DD(A)

Please put up status report of RRs please.

25/4/2015

~~Dy. Dir~~
Dy. Director (Admin)

27/4/15

Ajay

पिछले पृष्ठ के संदर्भ में:-

इस संबंध में यह कहना है कि कार्यालय द्वारा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को कॉलम(1) में दिये गये निम्नलिखित पदों के संशोधित भर्ती नियमों को ही भेजा गया है। तथा कॉलम(2) में निम्नलिखित दर्शाये गये पदों का संशोधित भर्ती नियमों को मंत्रालय को भेजने की प्रक्रिया जारी है।

50-59

58-60

50-61

मंत्रालय को भेजे गये संशोधित भर्ती नियमों की सूची।	मंत्रालय को नहीं भेजे गये संशोधित भर्ती नियमों की सूची।
1	2
1. निदेशक (प्रशा)	1. मुख्य अभियंता (श्रेणी- II)
2. उप निदेशक (प्रशा)	2. निदेशक (तक.)
3. प्रशासनिक अधिकारी	3. अधीक्षण अभियंता
4. अधीक्षक ग्रेड- I	4. अधिशासी अभियंता / उप निदेशक
5. अधीक्षक ग्रेड- II	5. सहायक अधिशासी अभियंता / सहायक निदेशक
6. प्रधान लिपिक	6. सहायक अभियंता
7. उच्च श्रेणी लिपिक	7. कनिष्ठ अभियंता
8. अवर श्रेणी लिपिक	8. निदेशक (एम.डी.यू)
9. एम.टी.एस.	9. उप निदेशक (जल विज्ञान)
10. वाहन चालक (सामान्य श्रेणी)	10. सहायक निदेशक (जल विज्ञान)
11. वाहन चालक श्रेणी- II	11. अभिकल्प सहायक
12. वाहन चालक श्रेणी- I	12. सहायक निदेशक (रा.भा.)
13. वाहन चालक (स्पेशल ग्रेड)	13. हिन्दी अनुवादक
14. प्रधान प्रारूपकार	
15. प्रारूपकार ग्रेड- I	
16. प्रारूपकार ग्रेड- II	
17. प्रारूपकार ग्रेड- III	
18. निदेशक (वित्त)	
19. लेखा अधिकारी	
20. कनिष्ठ लेखा अधिकारी	
21. कनिष्ठ लेखीकार	

अतः आपके अगले आदेश हेतु प्रस्तुत है।

30/06/2015
 अधीक्षण (प्रशा) (दृष्टि पर)
 उप निदेशक (प्रशा)



→
महानगर के पत्र पर दिनांक 15-6-2015
हस्ताक्षर के अभाव में शिकायत का प्रस्ताव
कि जो जो कि जो में उल्लेख नहीं किया है
पुनरीक्षण पर ~~अवगत~~ लगे जा सकते हैं
की प्रतिक्रिया मिली नहीं है
महानगर अधीनस्थ पत्र पर है

CP/54-58

मुद्रांक (20) / 2994
11.06.2015

~~पु. म. (पु.)~~

11/6/15
(महानगर अधीनस्थ)
म. नि. (पु.)



आरंभ कार्य
12/6/2015

महानिदेशक/महोदय

~~Signature~~
12.6.2015

~~CE (NH)~~

1/p
12/6

Dy Dy (A)

17/6/15

श्रीमान

SL No - 3 (I) CP - 63

